समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

श्रीमती पूनम, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
- +91-9473191375 फैक्स - 06452230880
E-mail - dm-katihar.bih@nic.in

–:: आदेश ::–

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का **CFMS Order No.–858/आ०प्र०** दिनांक 03.05.2019 के द्वारा वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2019–20** में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मुख्य **शीर्ष–2245** प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य **शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात** आदि, **लघुशीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत**, **उपशीर्ष–0016–राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु** अनुदान का भुगतान विपत्र **कोड–39–2245021010016** मांग संख्या 39, **Allotment ID–100936**, **विषय शीर्ष 37–01–अनुग्रह अनुदान** के अन्तर्गत मो० 40,00,000.00 (चालीस लाख) रूपये प्राप्त आवंटन में से निम्नांकित अंचल पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने वर्तमान में अंकित राशि **विगत वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के तहत यथा–वज्रपात/नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने एवं मानव जनित सामूहिक दुर्घटना (सड़क दुर्घटना) से हुई मृत व्यक्तियों के आंश्रित परिवार को भुगतान की गई राशि के समायोजन/भुगतान हेतु** स्वीकृत राशि का उपावंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि का व्यय **विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015, 1642/आ०प्र० दिनांक–22.04.2016, 1891/आ०प्र० दिनांक–16.07.2018 एवं 320/आ०प्र० दिनांक–01.02.2019 के आलोक में स्वयं सतुष्ट होने के उपरांत राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान मृत व्यक्तियों के आश्रितों/घायलों को करना सुनिश्चित किया जाय। उपावंटित राशि उसी मद में व्यय किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय** अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिशिचित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक** 15.03.2020 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के **ज्ञापांक–2561/वि0(2)** दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का मिलान महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना से नियमित रूप से किया जाय, इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदा० ही जिम्मेदार होगे।

क्र0	अंचल का नाम	मृतक का नाम	स्वीकृति आदेश पत्र संख्या एवं दिनांक	विगत वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान इकाई मद में स्वीकृति आदेश के विरूद्ध भुगतान की गई राशि के समायोजन/भुगतान हेतु उपावंटित राशि			अभ्युक्ति
				पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कटिहार	गोलू कुमार पासवान	1736/12.10.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	पानी में डूबकर
2.		मो० अकबर	1736/12.10.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	पानी में डूबकर
3.	कोढा	सबरून निशा	1547/10.09.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	अग्निकांड
4.	बारसोई	गुलबन निशा	807/19.05.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	अग्निकांड
5.	कदवा	राजलक्ष्मी चक्रवर्ती	506/19.05.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	अग्निकांड
6.		लीला देवी	806/19.05.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	अग्निकांड
7.		कैलाश पासवान	806/19.05.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	अग्निकांड
8.		विनोद साह	806/19.05.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	अग्निकांड
9.		प्रमानन्द शर्मा	1735/12.10.18	-	4,00,000.00	4,00,000.00	पानी में डूबकर
		कुल योग		-	**36,00,000.00**	**36,00,000.00**	

(मो० छत्तीस लाख रूपये)

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 590 / आ०प्र० II – I & XVIII - 12/2016-17, दिनांक 08/7/2019

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।